



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
आगरा ज०न के अधीन

**आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा,
खुर्जा एवं हाथरस में आवासीय /
व्यवसायिक सम्पत्तियों की**

आवंटन/नीलामी

आवंटन/ नीलामी तिथि:

09.12.2019

समय: प्रातः 11:00 बजे

स्थान:- आफिस कॉम्प्लैक्स (भू-तल) सेक्टर-13
आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा।



नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियाँ (रु० 1.00 करोड़ आरक्षित मूल्य तक)

सेक्टर संख्या/ब्लाक	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु० लाख में/प्रति वर्ग० मी०	निर्धारित टोकन धनराशि
कमला नगर, आगरा					
एफ	दुकानें	(04 नग) एफ-958/6, 958/7, 958/1, 958/8	10.39 से 11.61	रु० 10.92 से 12.19 लाख तक प्रति नग	रु० 109200.00 से रु० 121900.00 तक
सिकन्दरा योजना, आगरा					
16	दुकानें	(02 नग) एस-4, एस-11	8.88 से 12.60	रु० 6.73 से 9.58 लाख तक प्रति नग	रु० 67400.00 से रु० 95725.00 तक
8	व्याव० भूखण्ड	8/कॉम-3/2 (कार्नर)	60.08	रु० 54208/- प्र०व०मी०	रु० 325685.00
1	शापिंग प्लेट फार्म (चबूतरे)	(20 नग) 1/एस०ए०-1 (कार्नर), 1/एस०ए०-2 से 1/एस०ए०-20 तक	5.75 से 15.37	रु० 49280/- प्र०व०मी० से रु० 54208/- प्र०व०मी०	रु० 28340.00 से रु० 83318.00 तक
फिरोजाबाद					
4	यूटिलिटी भूखण्ड	4/यूटी-1 (कार्नर)	76.11	रु० 40656/- प्र०व०मी०	रु० 304500.00
4	यूटिलिटी भूखण्ड	4/यूटी-2 (कार्नर)	66.75	रु० 40656/- प्र०व०मी०	रु० 272000.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-2, 4/सीएस-4, 4/सीएस-3, 4/सीएस-5	67.95	रु० 36960/- प्र०व०मी०	रु० 248000.00 से 252000.00 तक
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-1	68.25	रु० 36960/- प्र०व०मी०	रु० 253000.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-6, 4/सीएस-7, 4/सीएस-8	66.75	रु० 36960/- प्र०व०मी०	रु० 245000.00 से 247000.00 तक
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-9 (कार्नर)	41.72	रु० 40656/- प्र०व०मी०	रु० 170000.00
कृष्ण विहार योजना मथुरा					
2ए	नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग) 2ए/सी-1 अनु०जा०	85.12	रु० 41440/- प्र०व०मी०	रु० 353000.00
हाथरस					
3	व्यावसायिक भूखण्ड	(03 नग) कॉम-3/1 कॉर्नर, कॉम-3/3 कॉर्नर, कॉम-3/4 कॉर्नर	240.00	रु० 27104/- प्र०व०मी०	रु० 651000.00
3		कॉम-3/2	192.80	रु० 24640/- प्र०व०मी०	रु० 476000.00
3		कॉम-3/5	197.75	रु० 24640/- प्र०व०मी०	रु० 488000.00
3		कॉम-3/6 कॉर्नर	237.44	रु० 27104/- प्र०व०मी०	रु० 644000.00
ट्रांस यमुना फेस- I, आगरा					
ए	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग) ए/कॉम-3	159.10	रु० 41440/- प्र०व०मी०	रु० 660000.00
ट्रांस यमुना फेस- II, आगरा					
जी	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग) जी/कॉम-4	126.00	रु० 41440/- प्र०व०मी०	रु० 522144.00



आगरा जोन के अधीन योजनाओं में 80.00 वर्ग मी० क्षेत्रफल तक की आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

आवंटन द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ (80 वर्गमी० तक एवं फ्लैट्स)

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/ प्रकार/ सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) ₹० लाख में/प्रति वर्ग० मी०	निर्धारित टोकन धनराशि
सिकन्दरा योजना, आगरा ग्रीन इन्वलेव फ्लैट्स					
2 सी	उच्च आय व० फ्लैट (प्रथम तल)	(ब्लॉक- A+B) (06 नग) (08 नग)	ए-101, 104 से 108 तक। बी-101 से 108 तक।	113.41	₹० 59.08 लाख ₹० 295500.00
2 सी	उच्च आय व० फ्लैट (द्वितीय तल)	(ब्लॉक- A+B) (08 नग) (08 नग)	ए-201, 202, 203, 204, 205 से 208 तक। बी-201 से 208 तक।	113.41	₹० 57.96 लाख ₹० 290000.00
2 सी	उच्च आय व० फ्लैट (तृतीय तल)	(ब्लॉक- A+B) (06 नग) (08 नग)	ए-302, 303, 305 से 308 तक। बी-301 से 308 तक।	113.41	₹० 57.40 लाख ₹० 287000.00
2 सी	उच्च आय व० फ्लैट (चतुर्थ तल)	(ब्लॉक- A+B) (05 नग) (08 नग)	ए-404, 405 से 408 तक। बी-401 से 408 तक।	113.41	₹० 56.83 लाख ₹० 284500.00
2 सी	उच्च आय व० फ्लैट (पंचम तल)	(ब्लॉक- A+B) (06 नग) (08 नग)	ए-501, 502, 505 से 508 तक। बी-501 से 508 तक।	113.41	₹० 56.27 लाख ₹० 281500.00
2 सी	उच्च आय व० फ्लैट (छटवां तल)	(ब्लॉक- A+B) (07 नग) (08 नग)	ए-601, 603, 604 से 608 तक। बी-601 से 608 तक।	113.41	₹० 56.27 लाख ₹० 281500.00
खुर्जा योजना					
3	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग)	3/356 (कार्नर)	97.86	₹० 16.11 लाख ₹० 80600.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग)	5/174/1	47.24	₹० 9.91 लाख ₹० 49600.00
3	अल्प आय वर्ग भवन	(29/60, 02 नग)	3/403, 3/96	62.63	₹० 15.51 लाख ₹० 77600.00
नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ (80 वर्गमी० तक)					
सिकन्दरा योजना, आगरा					
4	अल्प आय वर्ग भवन	(01 नग)	751/4	83.88	₹० 25.41 लाख ₹० 127100.00
फिरोजाबाद					
1	अल्प आय वर्ग भवन संख्या-1/469 (कार्नर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि			15.68	₹० 3.19 लाख ₹० 31900.00

कृष्ण विहार योजना मथुरा

2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए-626/1 (ओ०वी०सी० हेतु)	82.46	रु० 20720/- प्र.व.मी.	रु० 86000.00
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए-626/2	68.32	रु० 20720/- प्र.व.मी.	रु० 71000.00
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए-627/1 (ओ०वी०सी० हेतु)	63.80	रु० 20720/- प्र.व.मी.	रु० 67000.00
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए-627/2	49.80	रु० 20720/- प्र.व.मी.	रु० 52000.00
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए-627/3	53.55	रु० 20720/- प्र.व.मी.	रु० 56000.00
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए-627/4 (एस०सी० हेतु)	73.53	रु० 20720/- प्र.व.मी.	रु० 77000.00


नोट :-

- (1) आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी०एस०टी० अलग से भुगतान करना होगा। नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक 11:00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 11:00 बजे के बाद टोकन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। 11:00 बजे से आवंटन/नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें।
- (2) सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहां है, जैसे है, के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- (3) आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तथा सीलडबिड निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जाएगी।

सामान्य नियम एवं शर्त :-

- (1) समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) सम्पत्ति आवंटन संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं नीलामी में भाग लेने विषयक शील्डबिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु० 100/- जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- (3) सम्पत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- (4) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जो **“30प्र० आवास एवं विकास परिषद”** के पक्ष में संबंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो जमा कर टोकन प्राप्त करना/सीलडबिड के साथ जमा करना होगा।
- (5) सम्पत्ति आवंटन/ नीलामी संबंधी नियम शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <https://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।
- (6) नीलामी से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों की बोली स्वीकृति के पश्चात परिषद विनियमों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही कटौती की जायेगी।
- (7) फ्लैटों के मूल्य का एक मुश्त भुगतान करने पर कुल मूल्य में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (8) आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृति मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी.एस.टी. अलग से भुगतान करना होगा।

**संयुक्त आवास आयुक्त,
आगरा जोन**



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं
के निस्तारण हेतु

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा
अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें:

1800-180-5333 (टोल-फ्री)
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में
प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in> E-mail: info@upavp.com



भारतीय मानक ब्यूरो

भारत - पैरिस्टैंडिंग
Bureau of Indian Standards

IS 15700



SQMS